कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

क –1359 / ग्रा.अ.से. / सी.सी.रोड / अम्बे0सेल / विशिष्टियाँ / 08–09 दिनांक –24–11–08

- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
मीण अभियन्त्रण सेवा,
त्तर प्रदेश।

- समस्त अधिशासी अभियन्ता,
मीण अभियन्त्रण सेवा,
त्तर प्रदेश।

य –ग्राम पंचायतों मे मार्गों का सुधार सफाई व्यवस्था व जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ग्रामों में सीमेण्ट व कंक्रीट मार्ग तथा पक्की नाली का निर्माण के संबंध में।

वर्तमान समय मे विभाग द्वारा प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य चयनित डॉ. अम्बेडकर ग्राम ाओं में सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। विभिन्न जनपदों में निरीक्षण के समय निर्माण यों में पाई गई कतिपय त्रुटियों के निराकरण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहें है कि नवत् बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराना सुनिश्चित करें–

1– निर्मित सी.सी. रोड पर पाली न रूके इसके लिये कैम्बर अति आवश्यक है। यदि सी.सी. मार्ग पर र्धारित कैम्बर नही रखा जायेगा जो बरसात में पाली रूकने की संभावना बनी रहेगी। विशिष्टियों के अनुरूप कैम्बर से 2.5 प्रतिशत रखा जाना है।

यह भी आवश्यक है कि निर्धारित कैम्बर सब बेस मे ही बना लिया जाय जिससे सी.सी. पेवमेंट की मोटाई स सेक्सन मे सभी स्थानों पर निर्धारित डिजाईन के अनुरूप रहें।

2– निर्मित करायी जा रही नालियों में लॉगीट्यूडनल स्लोप (Longitudenal) न्यूनतम 0.5 प्रतिशत रखा जाये। श्यकतानुसार इससे अधिक स्लोन भी रखा जा सकता है, ताकि नालियों में जल जमाव व सिल्टिंग की स्थिति न न्न हो।

3– सामान्यतया एक गली का ग्रेडियेन्ट एक समान रखा जाये। यदि गली में पहले से अलग–अलग लम्बाई खड़जा अलन–अलग ग्रेडियेन्ट में लगा है तो खड़जा कार्य को आवश्यकता के अनुरूप उखाड़ कर सब ग्रेड में लिंग या कटिंग करते हुये ग्रेडियेन्ट एक समान करके उन्ही ईटों से खड़जा लगाने के बाद लीन कांक्रीट का ा कराया जाय।

4– नाली निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये ग्राम सभा का ड्रेनेज प्लान जिसपर लेबेल अंकित हो तैयार ना आवश्यक है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आउट फाल ड्रेन में मिलने वाली सभी नालियों के बेड लेवल र्धारित न्यूनतम लॉगीट्यूडनल स्लोप देने के बाद भी आउट फाल ड्रेन के बेड लेवल से ऊपर रहें। सामान्यतः ग्राम में पानी निकास की जो व्यवस्था पहले से प्रभावी है उसी के अनुरूप नालियों के निर्माण कार्य कराने का प्रयास या जाये। लेबेल की marking दीवालों पर अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

किसी भी गली में नाली निर्माण हेतु नींव खुदाई का कार्य गली की पूरी लम्बाई में एक साथ किया जाये, ससे आवश्यकतानुसार स्लोप एक समान रूप से निर्धारित हो सकें।

नाली के बेस में 2.5 सेमी. मोटाई की सीमेंट कांक्रीट एव आउट फाल ड्रेन में 5 सेमी. मोटाई की सीमेंट क्रीट डालने का प्राविधान है। यह सी.सी. पूरी लम्बाई की नाली निर्मित हो जाने के बाद नाली के अंदर वॉटर ब से लेवल के निशान अंकित करने के बाद आवश्यक स्लोप रखते हुए डाला जाये, जिससे यदि बेस कांक्रीट में प की कोई त्रुटि रह गई है तो सी.सी. डालते समय सुधार हो जायें।

निर्माण कार्य को 5 मुख्य गतिविधियों में निम्नवत विभक्त करते हुये सभी गतिविधियों को ग्राम सभा की –अलग गतिलयों में एक साथ कराया जा सकता है। निर्माण कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु सभी धियों हेतु अलग–अलग गैंग (मिस्त्री एवं मजदूर) निर्धारित करते हुये कराया जाये–

1 नाली निर्माण का कार्य,

2. सबग्रेड का कार्य,

3. कवर प्रीकास्ट करने का कार्य

4. लीन कांक्रीट का कार्य

5. सी.सी. कार्य

चूंकि ग्राम सभा में अलग–अलग गतिविधियों में निर्माण कार्य होना है इसलिये योजना इस प्रकार तैयार की कि उक्त सभी पॉचों गतिविधियाँ प्रत्येक ग्राम सभा में एक साथ क्रियान्वित हो सके।

निरीक्षण के समय यह बिन्दु भी प्रकाश में आया कि भुगतान में विलम्ब होने के कारण कार्यों की प्रगति ल रूप से प्रभावित हो रही है। इसके लिये अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से अवर अभियन्ताओं के मध्य प्रति के भुगतान हेतु रोस्टर तैयार कर दें, जिससे प्रखण्ड के अन्तर्गत सभी डॉ. अम्बेडकर ग्राम सभाओं के निर्माण के मापी योग्य कार्य का भुगतान नियत दिवस को सुनिश्चित हो सकें। त्वरित भुगतान हेतु सी.सी. रोड एवं निर्माण के लिए अलग से माप पुस्तिकायें निर्गत की जायें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ त अवधि दिनांक 31–12–2008 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता।

एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, पूर्वी/पश्चिमी, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं क कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उमा शंकर)
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता।